अध्याय -5

सारंगढ़ रियासत की प्रशासनिक व्यवस्था (1854 ई. - 1948 ई.)

विधि एवं न्याय प्रशासन

किसी भी व्यवस्था का मूलाधार कानून, व्यवस्था, और न्याय होता है। वस्तुतः जब मानव समाज ने जब राज्य का निर्माण किया, तो कानून, व्यवस्था और न्याय का अधिकार अपने संप्रभु (जो कि शासक होता था) के हाथों मे सौंप दिया होगा। कानून, व्यवस्था और न्याय के अंतर्गत मुख्यतः पुलिस, जेल तथा न्यायालयों का का समावेश होता है। विश्व के प्रायः सभी देशों में किसी भी युग में कानून, व्यवस्था तथा न्याय को भले ही किन्ही नामों से अभिहित किया गया हो, किन्तु सबकी प्रक्रिया एक ही जैसी रही है। पुलिस कानून और व्यवस्था को बनाये रखने तथा अपराधियों को पकड़ने न्यायालय अपराधियों को दण्ड देने, तथा जेले अपराधियों को बंदी बनाये रखने का कार्य करते रहे हैं।

5.1. आरक्षी व्यवस्था :

पुलिस का शाब्दिक अर्थ होता है - प्रजा की जान और माल की सुरक्षा करने वाला सिपाही या अफसर।[1] प्रशासनिक कर्तव्य के अनुकूल जनता की सुरक्षा एवं समाज तथा राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था अनुशासन बनाये रखने के लिये सारंगढ़ रियासत में पुलिस व्यवस्था का निर्माण किया गया था।

ब्रिटिश नियंत्रण में आने के पूर्व सारंगढ़ रियासत में कानून और व्यवस्था की कोई मान्य पद्धति प्रचलित नहीं थी। रियासत के शासक (तत्कालीन जमींदार) ही अपने क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम करते थे। गांवों में यह कार्य गौंटिया के द्वारा संपन्न किया जाता था। ग्रामीण पुलिस के रूप में प्रत्येक गांव में एक कोटवार या चौकीदार होता था बड़े गांवों में कोटवार की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति को स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों को क्रमशः गांड़ा और बैगा कहा जाता था. कोटवार या चौकीदार सामान्यतः मेहर, पैनका या गाड़ा जाति के होते थे किन्तु बैगा गोड़ जाति के थे।[2]

ब्रिटिश नियंत्रण में आने के पश्चात् भी काफी समय तक सारंगढ़ रियासत में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूर्ववत् बनी रही।[3] पुलिस स्थापना से संबंधित सर्वप्रथम प्रामाणिक जानकारी सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि से प्राप्त होती है वह इस प्रकार है - "पुलिस बैठे तेके याद कुंवार बदी 5 के पुलिस बुझे गये आसली अजंट साहेब के हुकुम से समत 1899 के साल।"[4] इस प्रकार सन् 1842 ई. में ब्रिटिश शासन के आदेशानुसार राज्य की कानून तथा व्यवस्था के लिये पुलिस व्यवस्था की स्थापना का संकेत मिलता है।

राजा संग्राम सिंह के शासन काल में सारंगढ़ राज्य में कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सारंगढ़ तथा सरिया परगने के गौटियाओं से कबूलीयतें ली गयी थी जिसके अनुसार गौटियाओं ने यह इकरार किया था कि यदि हम चोर बदमाशों को अपने इलाके में आने देंगे, चोरी के माल खरीदेंगे, या यदि चोरी बदकारी या खूनी को छिपायेंगे तो 100 रुपये जुर्माना तथा दण्ड के भागी होंगे तथा हमसे हमारे गाव छीन लिये जायेंगे। माघ बदी 11 संवत 1911 (सन 1854) को लिये इस इकरारनामें पर निम्न लिखित गौटियाओं ने हस्ताक्षर किये हैं - चकरो (सरीया) दर्जीआर (पचधार), हलधर (बोरीदा), अचुतमाली (भीखमपुरा), केंदी (कुर्रा), सनराम (डोंगरीपाली) गजधर (बारि), जगेद (डभरा), पूरन (खं.गांव), रूपधर (बरमकेला), जीतसाय (छातादेई), बोधन (बरदुला), धनवा (भीमगाव), नकुल (गोंडिहारी), मनबोध (नवरंगपुर), टिकैत (छींद), सिरदार (गोडम), भगत (गमटेक), अर्जुन

(लेन्ध्रा) आदि [5] इनसे क्वांर माह संवत् 1912 [6] (सन् 1855) तथा सं. 1916 (सन् 1859 ई.) [7] को पुनः इसी तरह की कबूलियतें ली गई।

शिवचरण लाला क्वांर सुदी 10 संवत 1915 (सन् 1857) को पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्त किये गये थे तथा सुखीराम ब्राम्हण को कोतवाली का दायित्व सौंपा गया। रात को गश्त करना तथा चोर पकड़ना इनका कार्य था। [8] सन् 1859 में सरिया बगराने में पुलिस थाना स्थापित किया गया। [9] गोपाल सिंह राजपूत को बैसाख बदी 30 संवत् 1923 (सन् 1866) को पुलिस जमादारी के पद पर नियुक्त किया गया। [10] इस प्रकार स्पष्ट है कि रियासत के शासक आरक्षी व्यवस्था की उपयोगिता को भली-भांति समझ चुके थे।

सन् 1867 में सारंगढ़ रियासत को सामंती रियासत तथा राजा संग्राम सिंह को सामंत शासक की मान्यता प्रदान करते हुए दी गई सनद की प्रसंविदाओं के अंतर्गत यहां की प्रशासनिक व्यवस्था तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ। सनद की धारा 2 तथा 3 में शासक को निर्देशित किया गया था कि वे अपनी रियासत में प्रत्येक प्रकार की अपराधों की रोकथाम करने के लिए यशा शक्ति प्रयास करेंगे तथा ब्रिटिश क्षेत्रों के अपराधियों के उनके रियासती क्षेत्रों में छिपने की स्थिति में उन्हें पकड़कर ब्रिटिश सरकार को सौंपेगे एवं उनकी रियासत के अपराधियों के ब्रिटिश अथवा दूसरे क्षेत्रों में छिपने की सूचना ब्रिटिश सरकार को देंगे। [11] यहां यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार का एक आदेश संबलपुर के डिप्टी कमीश्नर मेजर इन्फे ने 19 जुलाई सन् 1861 को राजा संग्राम सिंह को दिया था। [12]

इस प्रकार स्पष्ट है कि सन् 1867 की सनद द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सारंगढ़ रियासत के शासकों के अपने सामंती रियासत में अपराधों की रोकथाम करने अर्थात् कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। इस अधिकार की प्राप्ति के साथ ही सामंत शासक का यह उत्तरदायित्व भी हो गया कि वह कानून, व्यवस्था एवं न्याय की स्थापना के लिए स्वयं प्रयास करें तथा इसके लिए मान्य पद्धतियों को अपनाये।

आगामी वर्षों में सारंगढ़ रियासत में मध्य प्रांत के इंडियन पुलिस एक्ट सन् 1861 के अनुसार पुलिस बल का गठन एवं व्यवस्था किया गया। तत्पश्चात् पुलिस प्रशासन का तेजी के साथ विकास हुआ। विभिन्न वर्षों में पुलिस बल की संख्या एवं पुलिस विभाग पर सारंगढ़ रियासत की ओर से किये जाने वाले व्यय को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है -

सारंगढ़ रियासत : पुलिस बल तथा रियासत की ओर से व्यय

सन	पुलिस बल की संख्या	रियासत द्वारा विभाग पर व्यय
		(राशि रुपये में)
1905	47	4,224
1906	47	5,044

1907	47	4,561
1908	47	4,654
1909	43	5,064
1910	48	5,983
1911	48	5,976
1912	48	5,599
1913	48	5,723
1914	48	5,952
1915	48	6,000
1916	48	5,984
1917	53	6,201
1918	51	5,639
1919	60	9,030
1920	60	10,191
1921	62	9,584
1922	63	10,411
1924	62	10,411
1925	62	12,717
1927	60	11,946
1928	61	10,790
1929	57	8,353
1930	56	9,161
1934	64	7,397
1940	66	11,529
1942-43	67	15,638
1945-46	70	30,282
संदर्भ -एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट		

इस प्रकार उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सारंगढ़ रियासत में पुलिस बल की संख्या तथा विभाग पर रियासत की ओर से किये जाने वाले व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजा संग्राम सिंह के शासन काल में 21 अगस्त 1867 को रियासत द्वारा पुलिस अमला पर 3055/- रु. व्यय किये जाने का विवरण प्राप्त है।[13] वह राजा नरेशचन्द्र सिंह के समय सन् 1945-46 में 30,282/- रु. हो गया था।

सारंगढ रियासत में मध्य प्रांत में प्रचलित कांस्टेबुलरी व्यवस्था का यहां विकास हुआ, जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक, वृत्त निरीक्षक प्रधान आरक्षक, आरक्षक रक्षित निरीक्षक, न्यायालय निरीक्षक तथा कवायद निरीक्षक आदि के पद सृजित किये गये। पुलिस बल के लिये ब्रिटिश क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं को यहा लागू किया गया। जिससे पुलिस प्रशासन में कार्य कुशलता का विकास हुआ। राज्य प्रशासन के अन्य विभागों की तरह पुलिस विभाग का अधीक्षक विभाग की समुचित व्यवस्था के लिये दरबार के प्रति उत्तरदायी होता था। सम्पूर्ण पुलिसिया अमला उसके निर्देश पर कार्यकरता था। [14]

सन् 1890 से सन् 1945- 46 तक की काल अवधि में सारंगढ़ रियासत की पुलिस व्यवस्था में होने वाले क्रमिक विकास का संक्षिप्त निरूपण अग्र पंक्तियों में वर्णित है। सन् 1892 तक सारंगढ़ रियासत की पुलिस व्यवस्था स्तरीय नहीं थी। पुलिस कर्मियों को आपराधिक प्रकरणों की विधिवत जांच किये जाने का सम्यक ज्ञान नहीं था। अत एव पुलिस व्यवस्था का पुर्नगठन करने तथा पुलिस बल में वृद्धि किये जाने की योजना बनायी गयी। [15] इस समय सारंगढ़ रियासत में 2 पुलिस थाना क्रमशः सारंगढ़ तथा सरिया में स्थापित थी तथा पुलिस के पास कुल 19 बंदूके थी। [16] मध्य प्रांत के तत्कालीन चीफ कमिश्नर ने पर्यवेक्षण उपरांत सारंगढ़ रियासत की पुलिस बल से 10 बंदूके कम किये जाने का प्रस्ताव किया था। सारंगढ़ रियासत के पुलिस बल के संबंध में चीफ कमीश्नर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नानुसार था। [17]

पद	संख्या
निरीक्षक	निरंक
मुख्य आरक्षक	01
आरक्षक	36
आरक्षक ((जिनके पास छोटे डण्डे होते थे)	27
तलवार धारी	01
बंदूकधारी	09

सन् 1892 में सारंगढ़ रियासत में ब्रिटिश क्षेत्र के एक सेवानिवृत्त निरीक्षक को उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई तथा पुलिस प्रशासन में सुधार की आशा व्यक्त की गयी। [18]

सन् 1902 में अपराध प्रक्रिया की धारा 157 के अंतर्गत छोटे मोटे अपराधों की जांच हेतु खालसा पद्धति को लागू किया गया। [19] प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि सन् 1905 के अंत तक सारंगढ़ रियासत की पुलिस बल में 1 निरीक्षक तथा 46 आरक्षक थे, जिनमें से कुल 38 कर्मी साक्षर थे। [20] सन् 1908 में पुलिस बल का पुर्नगठन किये जाने संबंधी प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। [21] सन् 1910 के अंत में पुलिस बल में आरक्षकों की संख्या 48 थी इस प्रकार आरक्षकों की संख्या में विशेष बढ़ोत्तरी नहीं हुई। सारंगढ़ रियासत की तत्कालीन जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक 1858 व्यक्तियों तथा 12.5 वर्गमील क्षेत्र पर एक आरक्षक था। [22]

सन् 1916 में मद्रास सप्लाई सिस्टम पर कार्य कर रहे आबकारी विभाग की मदद के लिए पुलिस विभाग में 5 अतिरिक्त सिपाही रखे गये, जिनका वेतन आबकारी विभाग की ओर से दिया जाना था। इस समय रियासत में कुल

2000 व्यक्तियों तथा 10.6 वर्गमील क्षेत्र पर एक सिपाही नियुक्त था।[23] सन् 1919 में पुलिस प्रशिक्षण शाला सागर से प्रशिक्षित एक उपनिरीक्षक की नियुक्ति की गई।[24] सन् 1920 में पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया गया लेकिन इस पद पर किसी की नियुक्ति हुई या नहीं इस बाबत् जानकारी प्राप्त नहीं होती है।[25] सन् 1922 में प्रशिक्षण प्राप्त मुख्य निरीक्षक को पुलिस विभाग का प्रमुख बनाया गया।[26] सन् 1925 में यहां पुलिस बल में 1 चीफ इंस्पेक्टर, 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर, 7 हेड कांस्टेबल, 44 कांस्टेबल तथा 5 सवार थे इनका प्रधान अफसर एक सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस होता था। स्टेट भर में कुल तीन स्टेशन हाउस थे।[27]

सन् 1934 में सारंगढ़ रियासत पुलिस बल में 4 उपनिरीक्षक 15 मुख्य आरक्षक तथा 43 आरक्षक कार्यरत थे जिनमें से कुल 44 साक्षर थे तथा इस समय तक रियासत की तत्कालीन जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक 2015 व्यक्तियों और 8.5 वर्गमील क्षेत्र पर एक पुलिस कर्मी तैनात था।[28]

सन् 1938 तक बरमकेला में भी पुलिस थाना स्थापित हो चुका था, लेकिन पुलिस बल में नाममात्र वृद्धि हुई थी, केवल 2 सिपाही और बढ़े थे, जिनमें से 30 सशस्त्र थे तथा 15 को सशस्त्र किया जाना था। सन् 1942 में पुलिस प्रशासन में एक कोर्ट इंस्पेक्टर को भी शामिल किया गया। इस समय रियासत की पुलिस के पास 30 एनफील्ड तथा हेनरी मार्टिन बंदूकें थी। पोलिटिकल एजेन्ट की दृष्टि में सारंगढ़ रियासत की कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिए विद्यमान पुलिस बल संतोषजनक थी।[29]

सन् 1942 में संबलपुर गढ़जात समूह की सारंगढ़, रायगढ़ तथा सक्ती रियासतों के शासकों ने पुलिस प्रशासन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से संयुक्त पुलिस बल की स्थापना की गयी तथा संयुक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर खान साहब सैय्यद अहमद खान को नियुक्त किया गया।[30] ईस्टर्न स्टेट्स संयुक्त पुलिस बल को सारंगढ़ रियासत की ओर से 7,933 रू. अंशदान दिया गया। इसी वर्ष ही एक पुलिस कर्मी को सागर स्थित पुलिस प्रशिक्षण शाला मे प्रशिक्षण के लिये भेजा गया जिस पर 767 रू. रियासत की ओर से खर्च किये गये।[31]

सन् 1945 में मुख्य निरीक्षक डी.पी. नंदे को पदोन्नत कर उप पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया तथा 110-10-150 रू. वेतनमान स्वीकृत किया गया।[32]

सारंगढ़ रियासत में कर्त्तव्य परायणता के लिये पुरस्कृत तथा कर्त्तव्य विमुखता के लिए दण्ड देने का भी प्रावधान रहा, सन् 1945 के वर्ष में कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण 7 सिपाहियों को सजा मिली और 4 बर्खास्त किये गये तथा अच्छे कार्य के लिए सात सिपाहियों को पुरस्कृत किया गया तथा बरमकेला में न्यायालय एवं पुलिस थाना भवन का निर्माण 2950/- रू. की लागत से किया गया।[33]

सन् 1945- 46 के वर्ष में सारंगढ़ रियासत पुलिस बल संयुक्त पुलिस अधीक्षक सैय्यद अहमद खान तथा रियासत के उप पुलिस अधीक्षक के प्रभार में पूरी तरह नियंत्रित था। इस समय पुलिस बल की कुल संख्या 70 थी जिनमे से 45 सिपाही सशस्त्र थे। रियासत की तत्कालीन जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक 2030 व्यक्तियों तथा 12 वर्गमील भू- क्षेत्र पर एक सिपाही तैनात था। पुलिस विभाग में नियुक्त सभी कर्मचारी स्थानीय थे।[34]

पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने -अपने क्षेत्रों में प्रायः वही काम करते थे जैसे ब्रिटिश क्षेत्रों की पुलिस के द्वारा किया जाता था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उपनिरीक्षक को कोतवाली का प्रभार सौंपा गया था जो शहर मे होने वाले अपराधों का पता लगाता था, पुलिस के कुछ जवान उसकी सहायता के लिये तैनात रहते थे।

कुछ जवानों को राजमहल तथा खजाने की चौकसी का काम भी करना पड़ता था। पुलिस थाने में हमेशा एक कर्मचारी बैठा रहता था जो कार्यालयीन कार्यों के अतिरिक्त रोजनामचा लिखने का कार्य करता था, प्रधान आरक्षक के दर्जे का व्यक्ति ही मुंशी कहलाता था। बलवा एवं तनावपूर्ण स्थितियों पर थाने पुलिस की सहायता के लिए अलग से सुरक्षित पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। विभाग में प्रायः निम्न पदों पर नियुक्ति के लिय शैक्षणिक योग्यता की बजाय शारीरिक योग्यता को अधिक महत्व दिया जाता था। सेवा निवृत्ति के लिये कोई निश्चित आयु सीमा नहीं था। पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण हेतु रियासत में कोई व्यवस्था नहीं थी यहां के कर्मचारी वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर तत्कालीन मध्य प्रांत के पुलिस प्रशक्षिण संस्थान सागर में दरबार की ओर से प्रशिक्षणार्थ भेजे जाते थे। सन् 1942 में ईस्टर्न स्टेट्स एजेन्सी की रियासतों के लिए जब रायगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हुई तब आरक्षकों को उनके प्रशिक्षण के लिए वहीं भेजा जाने लगा।[35]

पुलिस बल की कार्यकुशलता को उसके द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिये किये गये कार्यो से आंका जा सकता है। सामान्यत: रियासत मेंचोरियाँ, पशुचोरी तथा सेंधमारी के अपराध हुआ करते थे ।[36अ] 12 अक्टूबर सन् 1909 ई. को सारंगढ़ रियासत के सुपरीनटेन्डेन्ट अकबर खान ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है " रियासत में सामान्यतः छोटे अपराध होते हैं अजघन्य अपराधों की संख्या काफी कम है सरिया पुलिस ने धारा 380 आई.पी.सी. के तहत एक मकान में 100 रुपये की चोरी का मामला दर्ज किया है।"[36 ब] अपेक्षाकृत कम रही। सन् 1942 में इस तरह के कुल 2 प्रकरण दर्ज हुये, तथा सन् 1945 में भी 2 प्रकरण दर्ज हुये, जिनमें पहले मामलें में कटेली गांव के गौटिया के रखैल की, गौटियां के पुत्र ने हत्या कर दी, इस प्रकरण से संबंधित 5 अभियोगी गिरफ्तार किये गये थे। दूसरा मामला तरकेला गांव में भूमिसंबंधी विवाद के कारण हुआ। जिसमे 2 व्यक्ति बंदी बनाये गये।[37]

सारंगढ रियासत की पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न वर्षो में अपराधों से संबंधित सूचित तथा अन्वेषित प्रकरणों की संख्या एवं दण्डित किये गये अपराधियों की संख्या के आधार पर पुलिस प्रशासन के कार्यो का मूल्यांकन अग्रांकित सारणी के माध्यम से किया जा सकता है -

सारंगढ़ रियासतः संज्ञेय अपराध तथा पुलिस के कार्य :

सन्	मामलो की संख्या		उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी न्यायिक जांच की गई हो	दोष मुक्त या रिहा व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्द व्यक्तियों की संख्या
	सूचित	अन्वेषित			
1891	347	-	-	-	-
1892	304	-	147	-	114
1893	190	-	-	-	-
1894	216	-	209	-	176
1895	182	-	-	-	-
1896	237	-	-	-	-
1897	330	-	372	-	12

1899	240	-	-	-	-
1900	390	-	588	-	503
1901	173	-	-	-	-
1902	165	-	181	27	150
1903	133	-	142	22	117
1904	84	-	102	07	76
1905	74	-	107	20	87
1906	59	-	67	16	45
1907	71	-	114	20	94
1908	47	-	62	06	53
1909	35	-	49	-	44
1910	48	-	61	01	59
1911	60	-	98	11	87
1912	35	-	55	05	51
1913	53	-	101	05	96
1914	51	-	80	02	75
1915	51	-	70	06	64
1916	53	-	74	03	71
1917	58	-	103	03	99
1918	45	-	94	09	-
1919	66	64	81	07	74
1920	73	69	99	09	90
1922	80	57	113	18	95
1924	93	61	51	07	44
1925	85	36	50	05	45
1927	102	55	64	04	60
1928	151	82	97	12	77
1930	89	57	68	12	51
1934	93	93	55	09	41
1940	205	125	163	48	66
1945-46	204	249	256	21	95

सदर्भ :- एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट -

इस प्रकार उपरोक्त सारणी में उल्लिखि त आंकड़ों से परिलक्षित होता है कि सन् 1890-1900 के दशक मेंअपराधों की सख्या अधिक रही संभवत: इसका कारण पुलिस बल के सक्षम न हो पाने की वजह से इस कालखंड में अपराध अधिक हुये हो। किन्तु पुलिस बल का पुर्नगठन सन् 1903 के पश्चात् किया गया तब अपराधों की संख्या में बहुत गिरावट आयी। सन् 1927-28 के वर्ष को अपवाद स्वरुप मान ले तो सन् 1940 के पूर्व तक रियासत में अपराध बहुत कम हुये। सन् 1940 तथा सन् 1945-46 की कालअवधि में पुन: अपराध बढ़े और अरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिनमें दण्डित कियो जाने वाले व्ययक्तियों की स्ख्या अधिक रही।

इस प्रकार सारंगढ़ रियासत में सन् 1891 के पश्चात् ब्रिटिश क्षेत्रों के सदृश आधुनिक पुलिस व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। समय के प्रवाह के साथ रियासती पुलिस बल में वृद्धि होती चली गई, तथा पुलिस व्यवस्था को पुर्नगठित किया गया। आवश्यकतानुसार रियासत में पुलिस थाना तथा चौकियों की व्यवस्था, पुलिस कर्मियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा अच्छे कार्यो के लिये पुरस्कार एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर दण्डित किये जाने जैसी प्रावधानों से रियासत की पुलिस बल को चुस्त दुरुस्त रखने में काफी सहायता मिली। इतना ही नहीं ईस्टर्न स्टेट्स संयुक्त पुलिस की स्थापना में सारंगढ़ रियासत की विशिष्ट भूमिका रही। सारंगढ़ रियासत पुलिस बल शनै: शनै: अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि की। अत: यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में सारंगढ़ रियासत पुलिस बल सक्षम था। आधुनिक पुलिस व्यवस्था का विकास सारंगढ़ रियासती प्रशासन की सर्वप्रमुख विशेषता कही जा सकती है।

5.2 जेल व्यवस्था :

इस बात का अभिलेखीय प्रमाणों का सर्वथा अभाव है, कि ब्रिटिश नियंत्रण में आने के पूर्व सारंगढ़ रियासत मेंअपराधियों को बंदी गृह में किस प्रकार रखे जाने की व्यवस्था थी, तथापि ब्रिटिश नियंत्रण में आने के पश्चात् पुलिस बल के पुर्नगठन केसाथ ही साथ जेलखानों की व्यवस्था की गयी। न्यायालयों के द्वारा दोषी ठहराये गये तथा दण्डित अपराधियों तथा विचाराधीन प्रकरणों में संलग्न अभियोगियों के रहने के लिये रियासत मुख्यालय में जेलखाना स्थापित किया गया था।

सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि से पता चलता है कि-" कैदी खरचार नहीं भेजना ऐसा परवाना आये।[38] तारीख 10 माह सितंबा 1863 ईस्वी दुती सावन बदी सात के समत् 1920 के साल।" यह आदेश संबलपुर के तत्कालीन डिप्टी कमीश्नर मेजर इम्फे ने दिया था। इससे यह ज्ञात होता है कि सारंगढ़ रियासत के अंदर गिरफ्तार अपराधियों में सामान्य अपराध में पकड़े गये अपराधी रियासत के जेलखानों तथा गंभीर अपराधी संबलपुर के जेल में स्थानातंरित किये जाते रहें होगे जिसका खर्च रियासत की ओर से दिया जाता रहा होगा। विशाल रसपूत को जहल (जेल) दफेदारी के पद पर चैत्र माह 7 के समत्1923 के साल में (सन् 1866) को नियुक्त किया गया था।[39] सारंगढ़ रियासत में जेलनिर्माण के संबंध में सर्वप्रथम पता चलता है -"जहलखाना बने तेके ईआद कोकौ कारीगर के बनाये है समत 1925 केसाल पूस महीना"[40] इस प्रकार सन् 1868 में राजा संग्राम सिंह के समय कोकौ कारीगर के द्वारा जेल निर्माण का कार्य सपादित हुआ जहां अपराधियों को कैद रखा जाता था। लेकिन जेल की व्यवस्था के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है।

लगभग सन् 1888-89 जब राजा जवाहिर सिंह नाबलिग थे तथा रियासत प्रशासन का संचालन

पोलिटिकल एजेण्ट के नियंत्रण में संचालित हो रहा था तब जेल अधीक्षक का पद सृजित किया गया तथा उसे जेल विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया जबकि इसके पूर्व जेलर ही विभाग का अध्यक्ष होता था, हालांकि इस पद पर किसी नये व्यक्ति की नियुक्ति नहींकी गई। किन्तु अब जेलर का कार्य जेल अधीक्षक के प्राप्त आदेशों का पालन करना तथा जेल की अनुकूल व्यवस्था के साथ ही समस्यओं से उसे अवगत कराना था। इस प्रकार जेलर अपने कार्यों के लिए जेल अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होता था, जेलर अपनी कर्त्तव्यों का निवर्हन वार्डरों की सहायता से करता था। राजा जवाहिर सिंह के समय जेलर के अधिनस्थ 10 वार्डर कार्यरत थे।[41]

सारंगढ़ जेल में सन् 1903 में 30 पुरुष, सन् 1904 में 26 पुरूष, सन्1905 में 19 पुरुष तथा 06 महिला , सन्1906 में 13 पुरुष तथा 2 महिला कैदी थे।[42] सारंगढ़ जेल का सुधार एवं विस्तार कार्य सन् 1908 में किया गया ।[43] सन् 1909 में सारंगढ़ जेल में 35 पुरूष तथा 5 महिला कैदियों के रहने की व्यवस्था थी।[44] तथा पिछले 4 वर्षो में कैदियों की औसत दैनिक उपस्थिति 20 थी ।[45] सन् 1910 में सारंगढ़ रियासत की ओर से प्रति कैदी 20 रु. वार्षिक व्यय किया जाता था।[46] कालांतर में राजा नरेश चन्द्रसिंह के समय जेल का कुछ विस्तार किया गया जिसमें लगभग 50 कैदियों को रखने की जगह थी।[47]

ब्रिटिश क्षेत्रों की भांति कैदियों को इस उद्देश्य से कि जेल से रिहा होने के पश्चात् अपनी सीखे हुये व्यवसाय से वे आर्थिक उपार्जन कर अपना गुजर बसर चला सके और समाज में शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन कर सके विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। प्रमुख जेल उद्योग दरी बनाना, तेल निकालना, चावल साफ करना, गिट्टियां तोड़ना, कुर्सियों की बुनाई तथा बागवानी करना आदि था।[48]

बंदी कल्याण के साथ ही साथ कैदियों द्वारा सदाचरण के साथ अतिरिक्त परिश्रम किये जाने पर उन्हें सजा में छूट दी जाती थी। सन्1911 में इम्पीरियल दरबार के सम्मान में सारंगढ़ जेल से 10 कैदी रिहा किये गये थे।[49]

सारंगढ़ रियासती मुख्यालय जेल में सन् 1920 से 1945-46 तक कैदियों की पूर्व संख्या प्रविष्ट कैदी, छोड़े गये कैदी तथा जेल विभाग पर रियासत की ओर से किये गये व्यय तथा जेल उद्योग से रियासत को होने वाली आय का विवरण क्रमश: 5 वर्ष के अतंराल में उपरोक्त तालिका के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है :-

सारंगढ़ रियासतः जेल विभाग -

सन	पूर्व संख्या	छोड़े गये कैदी	प्रविष्ट कैदी	व्यय (रु.मे)	आय (रु. मे)
1920	27	53	51	3,497	1,443
1225	09	16	18	2,424	1,616
1930	19	09	05	2, 904	1,065
1935	-	-	-	-	-
1938-40	47	83	100	4,232	1,154
1945-46	27	41	33	5,209	1,528

संदर्भ : एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है, कि सारंगढ़ जेल में प्रविष्ट कैदियों की संख्या घटती बढ़ती रही है सबसे कम सन्1930 में तथा प्रविष्ट कैदियों की सर्वाधिक संख्या सन् 1938-40 में रही। जहां एक ओर सारंगढ़ रियासत की ओर से जेल विभाग केअनुरक्षण पर किये जाने वाली राशि में निरंतर बढ़ोत्तरी रहीं, वहीं दूसरी ओर जेल उद्योग से होने वाली आय, खर्च की जाने वाली राशि के अनुपात में अपेक्षाकृत कम ही रही।

इस प्रकार तथ्यों से स्वयमेव यह प्रमाणित होता है कि रियासत में शांति एवं सुव्यवस्था बनायें रखने के लिये जिस प्रकार पुलिस व्यवस्था स्थापित की गयी थी ठीक वैसे ही अपराधियों को दण्ड देने एवं उन्हें सुधारने की उद्देश्य से सारंगढ़ रियासत मे जेल विभाग का सूत्रपात किया गया था। ब्रिटिश नियंत्रण में आने के पश्चात् बंदी कल्याण से संबंधित अनेक कार्य रियासत में किये गये, कैदियों को विभिन्न हस्तशिल्प तथा उद्योगों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा जिससे वे भविष्य में सम्मानजक ढंग से समाज में जीवनोपार्जन कर सकें। इतना ही नहीं ब्रिटिश क्षेत्रों के सदृश सारंगढ़ जेल में कैदियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का समुचित प्रबंध था। कुल मिलाकर हम यों कह सकते है, कि जेल यातनागृह न होकर सुधारगृह के रुप में था। सारंगढ़ जेल प्रशासन जनतांत्रिक तथा मनावधिकार मूल्यों के अनुरूप कार्य कर रहा था।

5.3 न्याय व्यवस्था :

ब्रिटिश नियंत्रण में आने केपूर्व मराठा शासन के अंतर्गत न्याय के निर्वाह के लिये न तो निश्चित अदालतें थी और न ही निश्चत नियम। न्याय के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों का कार्यक्षेत्र भी अस्पष्ट था। न्याय के लिये कोई निश्चित अपील पद्धति नहीं थी तथा दीवानी और फौंजदारी मामलों के लिये अलग-अलग अधिकारी नहीं थे।[50] न्यायिक कार्यो का संपादन मुख्यत: सूबेदारों द्वारा किया जाता था तथा छोटे-छोटे ग्रामीण प्रकरणों का फैसला स्थानीय पंच एवं गौंटिया करते थे। सूबेदारों को मृत्युदंड देने का अधिकार था, किन्तु इसकी सूचना उन्हें मराठा राजधानी को भेजनी पड़ती थी। [51]

न्याय के क्षेत्र में भेदभाव की नीति प्रचलित थी। यदि कोई ब्राम्हण, बैरागी , गोसांई या उच्च जाति का कोई व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति की हत्या कर देता था तो उसके लिये अपराधी को केवल जुर्माने की सजा दी जाती थी, किन्तु इसके विपरीत यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति की हत्या कर देता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। [52] इसतरह कानून में समानता का पालन नहीं होता था । जांच पड़ताल का ढंग भी अपूर्ण तथा अंसतोषजनक था, मराठा शासनकाल में भेंट औरकृपा के द्वारा भी न्याय प्राप्त किया जाता था। [53]

इस प्रकार मराठा कालीन न्याय व्यवस्था न तो व्यवस्थित थी और न ही निष्पक्ष रही। न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में उपर्युक्त दोषों में सुधार का कार्य इस क्षेत्र के ब्रिटिश नियंत्रण में आने के पश्चात् ही हो पाया तथा आधुनिक न्याय प्रणाली का सूत्रपात हुआ।

ब्रिटिश नियंत्रण में आने केबाद सन्1827 में सारंगढ़ के शासक से इकरारनामा लेने केउपरांत दी गई सनद के अनुसार इन्हें न्यायिक तथा पुलिस प्रशासन की शक्तियां सौंपी गयी। यद्यपि न्याय प्रशासन पूर्ववत रियासत के शासक तथा उनके सहायकों में निहित था। शासक को दीवानी तथा राजस्व मामलों में सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त थी, किन्तु फौजदारी मामलों में शक्ति सीमित कर दी गयी थी, जिसके तहत वे किसी अपराधी को अधिकतम [illegible] वर्ष के कारावास की सजा दे सकते थे, कालांतर में इसमें 6 माह और घटा दिया गया। [54]

सन 1867 की सनद के अनुसार रियासत के शासको को पोलिटिकल एजेण्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ संभाग केआयुक्त के सामान्य नियंत्रण के अधीन रखा गया था। अत: रियासत की सिविल तथा दाण्डिक न्यायपालिका अनेक दृष्टियों से रचना में समान थी, यद्यपि उसका स्थापन्न भिन्न भिन्न था। [55] रियासत की सिविल तथा दाण्डिक न्यायिक शक्तियाँ रियासत के शासक, दीवान ,एकतहसीलदार तथा एक नायब तहसीलदार में सन्निहित थी। शासक को सिविल और फौजदारी मामलों में सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गयी थी तथा राजस्व मामलों में वह सर्वोच्च होता था। [56] यद्यपि सन् 1867 की सनद के अनुसार फांसी के किसी भी दण्डादेश के निष्पादन के पूर्व कमिश्नर छत्तीसगढ़ संभाग रायपुर अथवा ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी नाम निर्दिष्ट अधिकारी से उसका अनुमोदन कराना आवश्यक था। [57]

ब्रिटिश भारत में प्रचलित प्रमुख विधियों का अनुसरण रियासत के न्यायिक तथा राजस्व मामलों के निपटारे में किया जाता था। उदाहरणार्थ - भारतीय दण्ड संहिता, सिविल, प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्म अधिनियम के अतिरिक्त तत्कालीन मध्यप्रांत में प्रचलित अधिनियमों के उपबंध लागू थे। [58]

रियासतीय क्षेत्र में नवीन न्यायालय खोलने , अवैतनिक न्यायाधीशों तथा मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने ,ऐसे अधिकारियों की पीठों का गठन करने तथा उन्हें न्यायिक शक्तियां प्रदान करने में प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार मुक्त रुप से परिवर्तन किये जाते रहे। [59] सारंगढ़ रियासत में न्याय प्रशासन के क्षेत्र में होने वाले क्रमिक विकास का संक्षिप्त विवेचन अग्र पंक्तियों में उद्दृत है -राजा संग्राम सिंह बड़े ही न्यायप्रिय शासक थे, न्यायिक कार्यो में वह सर्वोच्च अधिकारी थे तथापि गौटियाओं का सहयोग उन्हें प्राप्त होता था। [60] सन् 1866 के काल में 2 वर्ष कैद की सजा देने का उसे अधिकार था तथा उससे अधिक अवधि के दण्डा देश पर ब्रिटिश सरकार की सहमति आवश्यक थी। [61] इसके साथ ही वह 1000/- तक जुर्माने की राशि वसूल कर सकते थे। [62] 4 जनवरी 1866 को 7 वर्ष तक कैद की सजा, अपने जेल में कैदी रखने का अधिकार, बदमाशों का पता लगाने तथा जुर्माने की सजा कामजिस्टरी अधिकार दिया गया। [63] सन 1867 में मृत्युदंड देने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ, किन्तु इसके लिये कमिश्नर छत्तीसगढ़ संभाग रायपुर की सम्मति आवश्यक थी। दीवानी मामलों में उसे सर्वाधिकार प्राप्त था। [64] न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित स्वरुप प्रदान करने के लिये वामदेव दास महंती को फौजदारी मुकदमों से संबंधित लिखापढ़ी रखने तथा शिवचरन लाला को दीवानी मामलों से संबंधित लिखापढ़ी रखने का दायत्वि सौंपा गया था। [65] राजा संग्राम सिंह के द्वारा कुछ निर्णित मामलों का उल्लेख उनकी न्यायप्रियता के संदर्भ में उल्लेखनीय है। सन् 1835 में राधानाम की औरत केसाथ रुपा ठाकुर ने बध्कारी किया तो उसे 40/- रु. जुर्माना तथा जिलाबदर की सजा दी गई। [66] सन् 1836 में फोटकों कलार ने तातू कलार की औरत को टोनही कहकर पीटा तो उसे दण्ड स्वरुप वारिगांव से निकाल दिया गया। [67] बिसाहू नेगी पर 2320/- रु. गबन का आरोप सत्यापित होने पर उसे 500/- रु. जुर्माना तथा 1 वर्ष कारावास की सजा सन् 1868 में दी गयी। [68] बामदेव महंती पेसकार ने सुरसी के झगरू कोलिता तथा गंगा गौटिया से मुकदमा के संबंध में रिश्वत लिया आरोप सत्यापित होने पर उसे 300- रु. जुर्माना तथा 1 वर्ष कारावास का दंड 6 अक्टूबर 1868 को दिया गया। [69] वोइरमाल झरीहा गोंड सिरदार की हत्या के अपराध में गंजहा गोंड को 24 फरवरी 1871 को फासी दी गई। [70] इस प्रकार आम व्यक्तियों तथा रियासती कर्मचारियों में बिना भेदभाव किये उन्होंने न्यायिक कार्यो का संपादन किया।

सन 1878 में राजा भवानी प्रतापसिंह के अल्पवयस्क होने के दौरान सारंगढ़ रियासत का [illegible]

शासन ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया तथा रियासत का प्रबंध पोलिटिकल एजेण्ट रायपुर के अधीन एक अधीक्षक के द्वारा किया जाता रहा। [71] अधीक्षक जिला दंडाधिकारी तथा सिविल न्यायाधीस की शक्तियों का प्रयोग करता था एवं सत्र मामले निपटाता था। उसकी सहायता एक तहसीलदार द्वारा की जाती थी जिसे श्रेणी दंडाधिकारी की शक्ति प्राप्त होती थी। [72]

अन्य रियासतों वे सदृश सारंगढ़ रियासत में परिसीमा अधिनियम (लिमटेशन एक्ट) क्रमांक 15 सन 1867, मुद्रांक अधिनियम (स्टाम्प एक्ट) क्रमांक 1 सन् 1879, उत्पादन शुल्क अधिनियम (एक्साइज एक्ट) क्रमांक 1 सन् 1881, सिविल प्रक्रिया संहिता दंढ प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, पुलिस अधिनियम तथा सामान्यत: ब्रिटिश भारत में प्रयुक्त अधिनियमों को यहां लागू किया गया था। [73]

प्रारंभ में सारंगढ़ रियासत में अधीक्षक तथा तहसीलदार केअधीन अर्थात् कुल 2 न्यायालय थे, इनमें अधीक्षक का न्यायालय अपीलीय न्यायालय था। लेकिन सन् 1890 में अल्पवयस्क राजा जवाहिरसिंह के चाचा तथा निजी मामलों के प्रबंधक ठाकुर मनबोधसिंह को अवैतनिक न्यायाधीश के रुप मे नियुक्ति दी गई। तथा उसे तृतीय श्रेणी दंडाधिकारी (दीवानी) की शक्तियां प्रदान की गयी। [74] सन्1890-91 के वर्ष में अच्छी फसल होने तथा व्यापार और वाणिज्य ने विस्तार केपरिणामस्वरुप दीवानी मामलों में वृद्धि देखने को मिलती है। [75]

सन् 1905 तक सारंगढ़ रियासत में केवल यही तीन न्यायालय ही विद्यमान थे [76] लेकिन अवैतनिक न्यायाधीश ठाकुर मनबोध सिंह की वृद्धावस्था तथा रूग्णता के चलते उनके द्वारा प्रकरणों का निपटरा शीघ्रता से नहीं हो पाता था अत: सन् 1908 में इस न्यायालय को बंद कर दिया गया। [77]

सन् 1909 में राजा जवाहिरसिंह को सामंत शासक की शक्तियां प्रदान करने के साथ ही न्यायालयों की संख्या पुन: तीन हो गई। [78] सन् 1912 में अवैतनिक न्यायाधीश तथा मुंसिक का एक न्यायालय खोला गया जिसमें राजा ने अपने भतीजे लाल त्रिभुवन सिंह को इस न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया। [79]

सन्1920 तथा सन् 1922 में एक-एक फौजदारी अपीलीय न्यायालय खोले गये जिससे न्यायालयों की कुल संख्या 6 हो गयी। [80] लेकिन सन् 1924 के वर्ष में अवैतनिक न्यायाधीश का पद समाप्त कर दिया गया। [81] धानूलाल श्रीवास्तव लिखते है -''दीवान फौजदारी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशंस जज तथा दीवानी में डिस्ट्रिक्ट जज है। नायब दीवान फौजदारी मुकदमों में पहिले दर्जे का मजिस्ट्रेटी अधिकार पाये हैं तथा दीवानी मामलों में कुल दावे के मुकदमों के फैसला करने का इख्तियार है। तहसीलदार को फौजदारी में दूसरे दर्जे कामजिस्ट्रेट तथा दीवानी में 300 - रुपया के मुकदमों के फैसला करने का अधिकार है। एक आनरेरी मजिस्ट्रेट भी है - जो दूसरे दर्जे के मस्ट्रिेट है। नायब तहसीलदार को तीसरे दर्जे का फौजदारी व 100 /- रुपया तक के दीवानी अधिकार है। [82] सन् 1932 में सारंगढ़ रियासत में धनेश्वर गाड़ा नामक व्यक्ति को हत्या के अपराध में फांसी की सजा सुनाई गई जिसकी पुष्टि चीफ कमिश्नर द्वारा की गई, अभियुक्त की ओर से माफी की अपील गर्वनर जनरल से की गई जिसे निरस्त कर दिया गया। [83] सन् 1934 में सारंगढ़ रियासत में सारंगढ़ तथा सरिया में अलग-अलग न्यायालय विद्यामान थे। इस समय रियासत में कुल 6 न्यायालय थे, जिनमें राजा को उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त थी। दीवान को जिला दंडाधिकारी एवं जिला न्यायाधीश के अधिकार थे तथा समस्त द्वितीय अपीलों की वह सुनवाई करता था। दो द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारियों के न्यायालय तथा सारंगढ एवं सरिया में अनुविभागीय अधिकारियों के एक-एक न्यायालय थे। इसी वर्ष श्री कुंजराम नंदे अधीक्षक भू अभिलेख तथा तहसीलदार, तृतीय श्रेणी दंडाधिकारी की शक्तियां प्राप्त

कर कर उसे द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी की शक्तियां सौंपी गयी।[84]

सारंगढ़ रियासत के रुलिंग चीफ राजा जवाहिरसिंह ने दिनांक 5 फरवरी सन् 1939 को एक विज्ञप्ति जारी कर रियासत में एक पृथक उच्च न्यायालय अतिशीघ्र स्थापित किये जाने की घोषणा की थी।[85] सन् 1940 में सारंगढ़ रियासत के दंडाधिकारियों एवं न्यायाधीशों में क्रमशः दीवान,जिला न्यायधीश तथा जिला दंडाधिकारी, सहायक दीवान -सारंगढ़ परगने के लिये अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तथा प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी थे, तहसीलदार-प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी तथा सब जज. युवराज नरेश चन्द्रसिंह सरिया परगने के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी की शक्तियां उन्हें प्राप्त थी तथा राजा के संबंधी ठाकुर खगेश्वर सिंह को तृतीय श्रेणी दण्डाधिकारी तथा सब जज द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्राप्त थी। रियासत की अधीनस्थ दीवानी और फौंजदारी न्यायालयों का गठन ब्रिटिश क्षेत्रों के प्रादर्श पर किया गया था। तथा ये न्यायालये उच्च न्यायालय के प्रति न्यायिक प्रकरणों में उत्तरदायी होती थी।[86]कोर्टफीस स्टैम्प में रूलर इन चीफ का मुहर लगा रहता था।[87] सारंगढ़ केअधिकांश न्यायाधीश विधि स्नातक अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त थे। सन् 1940 में कार्यरत दीवान एवं सहायक दीवान दोनों ही विधि स्नातक थे तथा वकालत का दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त था। तत्कालीन तहसीलदार स्नातक तक शिक्षित थे।[88]

सन् 1942 में संबलपुर गढ़जात समूह के सारंगढ़, सक्ती तथा रायगढ़ तीनों रियासतों के शासकों ने न्याय प्रशासन में एक रुपता लाने के लिये रायगढ़ में एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की तथा श्री जी. आर. महादेवकर को इस न्यायालय का संयुक्त उच्च न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। सन् 1944 में अब्दुल्ला खान को इस न्यायालय का व्यवहार एवं सत्र न्यायाधीश का पदभार सौपा गया। इस संयुक्त उच्च न्यायालय का कार्यकाल 1945 तक रहा।[89]

जुलाई 1945 में छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की रियासतों के लिये कॉमन हाईकोर्ट की स्थापना के उद्देश्य से रियासती शासकों का सम्मेलन बलांगीर उड़ीसा में आयोजित हुआ, जिसमें इस 6 सदस्यों का एक नियंत्रण मण्डल बनाया गया जिसे कॉमन हाईकोर्ट से संबंधित अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था। 17 अप्रैल सन् 1945 को रायपुर में इसकी बैठक हुई जिसमें कॉमन हाईकोर्ट की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया , हालांकि 3 जुलाई सन् 1945 को रायगढ़ में कॉमन हाईकोर्ट का विधिवत उदघाटन किया गया जिसके पीठासीन न्यायाधीशों में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अपर न्यायाधीश थे जो सभी रियासतों के संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करते थे।[90] मुहम्मद ईस्याईल को कॉमन हाईकोर्ट का प्रथम मुख्य न्याययाधीश नियुक्त किया गया था।[91]

सन् 1945-46 में यद्यपि सारंगढ़ रियासत मेंअब भी न्यायालयो की संख्या यथावत् 6 थी तथापि न्यायाधीश एवं दंडाधिकारी परिवर्तित हो चुके थे। इस समय कार्यरत न्यायालयों में क्रमशः उच्च न्यायालय, दीवान पं. रामदास नायक जिला दडाधिकारी, श्री हीरालाल थवाईत अनुविभागीय अधिकारी (प्रथम श्रेणी) सरिया, श्री जी.पी. बनर्जी तहसीलदार द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी, श्री जे.पी. भार्गव सिविल एवं सेशंस जज तथा ठाकुर खगेश्वर सिंह अवैतनिक न्यायाधीश के रूप मे सेवारत थे।[92] इन न्यायालयों में से राजस्व प्रकरणों के लिये 2 मूल क्षेत्राधिकार के, 2अपीलीय, 1 सिविल तथाजिला न्यायालय तथा 1 उच्च न्यायालय था। अवैतनिक न्यायाधीश ठाकुर खगेश्वर सिंह को छोड़कर शेष सभी न्यायाधीश तथा दंडाधिकारी कानूनी शिक्षा प्राप्त थे।।[93]

सारंगढ रियासत अंतर्गत सारंगढ परगने केहिन्दी भाषी लोगों की तुलना में सरिया परगने के उडिया भाषी लोग मुकदमे बाजी में आगे थे। सामान्यतः दीवानी मामले भूमि पर अधिकार संबंधी विवाद अथवा कृषि या ऋणों के लेन देन को लेकर उत्पन्न होते थे।[94] आपराधिक प्रकरणों में अनाज और पशुओं की चोरी, बलात्कार, साधारण चोट पहुंचाना जाना, स्वेच्छापूर्ण हत्या इत्यादि थे।[95]अनाज और पशुओं की चोरी तथा साधारण चोट पहुंचाये जाने के छोटे-छोटे मामले

बहुत सामान्य थे। गंभीर या जघन्य अपराध यदा-कदा ही होते थे, पेशेवर अपराधी इस क्षेत्र में नहीं थे।[96]

सारंगढ़ रियासत के विभिन्न न्यायालयों द्वारा सन् 1890 -सन् 1945-46 की कालअवधि में निर्णित फौजदारी तथा दीवानी मामलों को प्रस्तुत सारणी में प्रदर्शित किया जा रहा है।

सारंगढ़ रियासत : न्यायिक प्रशासन फौजदारी -

सन्	दर्ज प्रकरणों की संख्या	अभियोजित व्यक्यिों की संख्या व्यक्तियों की संख्या	दोषमुक्त या रिहा किये गये की संख्या	दोष सिद्ध ठहराये गये व्यक्तियों की संख्या	कुल लंबित प्रकरणों की
1891	128	228	-	132	-
1892	137	319	-	138	-
1893	245	362	-	228	-
1894	171	238	-	152	-
1895	191	307	-	200	-
1896	223	382	-	271	-
1897	282	451	-	334	-
1899	208	407	-	297	-
1900	316	629	-	529	-
1901	164	297	-	-	-
1902	158	259	98	161	-
1903	127	191	64	129	-
1904	95	151	49	101	-
1905	101	203	80	123	-
1906	97	189	123	66	-
1907	168	209	93	112	-
1908	128	167	50	117	-
1909	162	139	62	77	-
1910	200	172	44	127	-
1911	96	149	42	105	-
1912	76	141	40	93	-
1913	125	171	44	124	-
1914	102	176	67	79	-
1915	110	170	46	118	-
1916	126	208	65	137	-

1917	132	326	84	237	-
1918	166	211	63	123	22
1919	125	255	122	102	-
1920	261	421	204	163	41
1922	137	314	141	158	-
1924	97	173	78	88	08
1925	167	240	134	99	05
1927	158	235	91	103	38
1928	255	309	151	169	12
1930	158	353	213	87	-
1942	188	532	224	116	72
19945-46	427	997	479	307	81
संदर्भ : एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट					

सारंगढ़ रियासत : न्यायिक प्रशासन दीवानी

सन्	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निर्णित प्रकरणों की संख्या	डिक्री प्राप्त प्रकरणों संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या
1890	-	290	-	-
1891	-	437	-	-
1892	-	372	-	-
1893	435	414	-	-
1894	383	-	-	-
1895	414	-	-	-
1896	306	-	-	40
1897	332	-	-	51
1899	319	295	-	-
1900	201	123	-	-
1901	380	-	-	-
1902	303	-	-	-
1903	423	376	-	-
1904	433	415	-	18
1905	457	431	-	26

1906	490	411	-	79
1907	426	411	-	15
1908	407	136	-	-
1909	583	576	-	-
1910	575	558	-	36
1911	678	667	-	-
1912	700	-	-	63
1913	535	526	-	72
1914	542	483	-	-
1915	482	477	-	-
1916	726	705	-	22
1917	658	645	-	-
1918	623	-	63	33
1919	738	668	233	-
1920	857	-	338	-
1921	997	-	-	-
1922	919	-	271	-
1924	668	658	174	-
1925	634	631	163	-
1927	583	-	181	-
1928	571	567	228	-
1930	530	434	130	-
1934	489	63	224	26
1942	712	308	118	404
1945-46	849	813	66	-

संदर्भ : एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट -

उपरोक्त समंकों के अवलोकन से यह विदित होता है, कि सारंगढ़ रियासत तें सन् 1893 के पश्चात से न्यायिक प्रशासन के क्षेत्र में दर्ज दीवानी पत्तकरणों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी होती रही, जबकि फौजदारी प्रकरणों के अवलोकन पश्चात् यह बात सामने आती है, कि उसमें क्रमश: घट-बढ़ होती रही है। फौजदारी मुकदमों में अभियोजित व्यक्तियों की संख्या में तथा दोष सिद्ध दंडित व्यक्तियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि का सिद्धांत नहीं दिखता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है, कि सारंगढ़ रियासत न्याय प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहा है। ब्रिटिश नियंत्रण में आने के पश्चात् सारंगढ़ रियासत में विधि व्यवस्था तथा न्याय के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हुये। ब्रिटिश क्षत्रों में प्रचलित व्यवस्था के सदृश ही सारंगढ़ रियासत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया जेल व्यवस्था में परिवर्तन तथा सुधार का दौर चला दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों

का सृजन किया गया। इन सभी को फलस्वरुप ही प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में गतिशीलता आयी। आधुनिक पुलिस व्यवस्था के सूत्रपात से रियासत में अपराधों में कमी आयी तथा कानून व्यवस्थाओं में कसावट आयी, जेलो की स्थिति में परिवर्तन कर उसे सुधार गृह का स्वरुप दिया गया तथा निष्पक्ष न्याय कार्य का निष्पादन सारंगढ़ रियासत के न्याय प्रशासन में मील का पत्थर साबित हुई।

पाद- टिप्पणी

1. वर्मा, रामचंद्र, -प्रामाणिक हिन्दी कोष, संवत् 2007, पृ. 717
2. डीब्रे,ई .ए. - सेण्ट्रल प्रॉविन्सेज गजेटियर्स छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स, 1909, पृ. 189,-224 एवं चरित्र किताब -सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि, पृ. 209
3. सिन्हा, एच.एन..- सिलेक्शन्स फ्रॉम दी नागपुर रेसीडेन्सी रिकार्डस, जिल्द-1, पृ. 83-84
4. चरित्र किताब - सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि, पृ. 77
5. चरित्र किताब - पूर्वोक्त , पृ. -110-112
6. चरित्र किताब -पूर्वोक्त, पृ. 114-15
7. चरित्र किताब -पूर्वोक्त, पृ. 161-62
8. चरित्र किताब -पूर्वोक्त ,पृ. 148
9. चरित्र किताब -पूर्वोक्त, पृ. 162
10. चरित्र किताब -पूर्वोक्त , पृ. 264
11. एचिसन, सी.यू. -ए कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज इंगेजमेण्ट्स एंड सनद्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेवरिंग कण्ट्रीज, जिल्द -2, पृ. 548
12. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. 174
13. चरित्र किताब -पूर्वोक्त,पृ. . 99
14. यादव, डोरीलाल -सारंगढ़ रियासत इतिहास के घेरे में, लघुशोध प्रबंध, गुघाविवि, 1983-84, पृ. 76
15. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1892, पृ. 43
16. फॉरेन एंड पोलिटिकल -डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स, नवंबर 1892, क्र. 4-10
17. उपरोक्त
18. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1892, पृ. 43
19. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1902, पृ. 43
20. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1906, पृ. 32
21. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1908,पृ. 32-39
22. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1912, पृ. 31

23. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1916, पृ. 12
24. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1919, पृ. 12
25. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1920, पृ. 21
26. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1922, पृ. 11
27. श्रीवास्तव, धानूलाल - अष्टराज्य अम्मोज, 1925, पृ. 200
28. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1934, पृ. 5
29. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1942, पृ. 9
30. श्रीवास्तव, अतुल कुमार -रायगढ़ समूह की रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था, शोधप्रबंध ,रविवि. पृ. 174
31. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट , 1942, पृ.11
32. दरबार ऑफिस सारंगढ़ स्टेट फाइल नं. IX जनरल नं. 6/ए
33. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1945-46 ,पृ. 10 एवं 27
34. उपरोक्त -
35. यादव, डोरीलाल - पूर्वोक्त, पृ. 76-79
36. (अ) एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ,1936, पृ. 3
(ब) ऑफिस इन्स्पेक्शन बुक सारंगढ़ स्टेट सी.पी. 5 अगस्त 1908 -1924 (पाण्डुलिपि)
37. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1945 -46, पृ. 11
38. चरित्र किताब - सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि, पृ. 217, 231-32
39. चरित्र किताब- पूर्वोक्त, पृ. 263-64
40. चरित्र किताब- पूर्वोक्त, पृ. 325
41. यादव, डोरीलाल - पूर्वोक्त , पृ. 79-80
42. डीब्रे, ई.ए. - पूर्वोक्त , पृ.224
43. एनुअल एडमीनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1908, पृ. 32
44. रायगढ़ जिला गजेटियर, 1979, पृ. 254
45. डीब्रे, ई. ए. -पूर्वोक्त, पृ. 224
46. उपरोक्त, पृ. 189,225
47. बेहार, बोधराम से साक्षात्कार पर आधारित
48. डीब्रे,ई. ए.- पूर्वोक्त , पृ. 225
49. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1911, पृ. 11
50. एगन्यू, पी. वान्स -ए रिपोर्ट ऑन दी सूबा आर प्रॉविन्स ऑफ छत्तीसगढ़ , 1820 (सन् 1922) पृ. 42
51. जर्नल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, केरल यूनिवर्सिटी एडीशन, अप्रैल 1969 , पृ. 95
52. एगन्यू, पी. वान्स - पूर्वोक्त , पृ. 42
53. सिन्हा, आर.एम. -भोंसला ऑफ नागपुर, पृ. 94

54. डीब्रे, ई.ए. - पूर्वोक्त, पृ. 12
55. रायगढ़ जिला गजेटियर, 1979, पृ. 244
56. एचिसन, सी.यू. -ए कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज इंगेजमेण्टस एंड सनद्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कण्ट्रीज, जिल्द 2. पृ. 548
57. चरित्र किताब - सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि, पृ. 266
58. डीब्रे,ई.ए. - पूर्वोक्त, पृ. 187-88 एवं 223 -24
59. रायगढ़ जिला गजेटियर, 1979, पृ. 224
60. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. 110 -12
61. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. 191 -92
62. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. 202 -05
63. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. 258
64. एचिसन, सी.यू. - पूर्वोक्त, पृ. 548 एवं चरित्र किताब - सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि पृ. 266
65. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. 176.
66. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. 70
67. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. 71
68. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. 307
69. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. पृ. 322
70. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, पृ. 356
71. डीब्रे, ई.ए. - पूर्वोक्त ,पृ. 206
72. श्रीवास्तव धानूलाल - अष्टराज्य अम्भोज , 1925, पृ. 13
73. रायगढ़ जिला गजेटियर , 1979, पृ. 245
74. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1890 -91, पृ. 12
75. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, 1890, पृ. 22
76. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, 1905, पृ. 32
77. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, 1908, पृ. 32
78. चरित्र किताब - पूर्वोक्त, 1909 , पृ. 31 एवं डीब्रो ई.ए.- पूर्वोक्त, पृ. 206
79. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1912, पृ. 15
80. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1920, पृ. 20 एवं 1922, पृ. 14
81. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1924, पृ. 11
82. श्रीवास्तव, धानूलाल - पूर्वोक्त, पृ. 200
83. फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल नं. 104 (11)1
84. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1934, पृ. 4

85. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1938, पृ. 16
86. सारंगढ़ स्टेट -एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1938-40, पृ. 16,17,19
87. यादव, डोरीलाल - पूर्वोक्त, पृ. 82
88. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1938-40, पृ. 16
89. यादव, डोरीलाल - पूर्वोक्त , पृ. 83
90. श्रीवास्तव, अतुलकुमार - पूर्वोक्त, पृ. 189
91. यादव, डोरीलाल - पूर्वोक्त, पृ. 83
92. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1945-46, पृ. 15,41
93. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1945 -46, पृ. 17, 41
94. डीब्रे, ई.ए. - पूर्वोक्त, पृ. 223
95. चरित्र किताब - सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि पृ. 57,58,60,68-71,232,240,307,322,329,356
96. डीब्रे, ई.ए.- पूर्वोक्त, पृ. 223